<u>न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 किशनगढ, जिला अजमेर</u>

पीठासीन अधिकारी : मनीष हरजाई, आर0 जे0 एस0

दीवानी वाद संख्या : 19/2015

श्रीमती शारदा पत्नी श्री सांवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

———याचिकाकर्ती

बनाम

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत चुनाव) एवं जिला कलेक्टर, अजमेर।
2. रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत बरणा पंचायत समिति किशनगढ, जिला अजमेर मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत चुनाव) एवं जिला कलक्टर, अजमेर।
3. श्रीमती राजू कंवर उर्फ राजकंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह जाति राव (बडवा) उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बरणा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 43 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित नियम 80 राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994।

उपस्थित :

1. श्री करतार सिंह चौधरी, विद्वान् अधिवक्ता याचिकाकर्ती की ओर से।
2. विद्वान् अभियोजन अधिकारी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री दीपक दाधीच, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

: : <u>नि र्ण य</u> : : दिनांक : 17.07.2019

1. याचिकाकर्ती की ओर से निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 43 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, सपठित नियम 80, राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994, दिनांक 09.03.15 को प्रस्तुत किये जाने पर बाद अवलोकन कार्यालय रिपोर्ट दिनांकः 13.03.205 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जिले में पंचायत राज संथाओं का निर्वाचन वर्ष 2015 का कार्यक्रम घोषित किया गया। उक्त निर्वाचन के लिए याचिकाकर्ती तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती राजू कंवर, श्रीमती बीना कुमारी एवं काली देवी ने दिनांक 31. 01.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष ग्राम पंचायत बरणा, पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर के सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये। दिनांक 01.02.2015 को मतदान पूर्ण होने के पश्चात्, इसी दिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मतदान स्थल पर मतगणना की जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को 88 मतों से विजयी घोषित कर सरपंच पद की शपथ दिलाई। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(3)विधि/2/2014 अध्यादेश अधिसूचना दिनांक 20.12.14

द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर सरपंच पद हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण की योग्यता निर्धारित की थी। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कक्षा 8 उत्तीर्ण न होते हुए भी उसके द्वारा कूटरचित दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 31.01.2015 को सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 में जन्म स्थान ग्राम डेचवास तहसील मालपुरा जिला टों के स्थानीय विद्यालय डेचवास में प्रवेश क्रमांक 461 के अनुसार वर्ष 1989 से 1992 तक कक्षा 4 तक ही अध्ययन किया है, तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कक्षा 8 उर्त्तीण की फर्जी कूटरचित टी.सी. लाल बहादूर बाल विद्यालय हिंगोनिया जिला जयपुर की प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 2.07. 1989 को प्रवेश क्रमांक 38 पर विद्यालय मे प्रवेश का उल्लेख कर दिनांक 15. 05.1997 को कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से इस बाबत् आपत्ति की गई, उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसका नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विभिन्न बूथों के मतों की पृथक पृथक गिनती नहीं कर भूल की गई और बिना पृथक पृथक मतपेटियों में डाले गये मतों की टेली कर मतगणना नहीं कर चुनाव परिणाम घोषित किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा मनमाने तरीके से मतों को खारिज किया गया। याचिकाकर्ती के अभिकर्ता की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मतदान की तिथि को शराब व धनराशि का वितरण कर मतदाताओं को प्रलोभित किया गया।

अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.02.2015 को ग्राम पंचायत बरणा पंचायत समिति किशनगए जिला अजमेर के सरपंच पद हेतु घोषित चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कर प्रत्याशियों को प्राप्त मतों व खारिज मतों की समीक्षा कर पुनः मतगणना कर उक्त ग्राम पंचायत बरणा पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर के सरपंच पद का पुनः परिणाम घोषित कर याचिकाकर्ता को उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद हेतु निर्वाचित घोषित किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर, याचिकाकर्ता के कथनों को गलत व मनगढंत बताते हुए कथन किया है कि चुनाव प्रक्रिया विधिनुसार करवाया जाकर चुनाव परिणाम बिना पक्षपात पूर्ण विधिक प्रावधानों के अनुसार घोषित किये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती राजूकंवर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया था, जिसके सही प्रतीत होने पर ही नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया गया था। मतपत्रों की छटनी करते समय निरस्त मतपत्रों को अलग रखी टोकरी में रखा गया व निरस्त मतपत्रों को उम्मीद्वार की ओर से नियुक्त एजेन्ट को दिखाया गया व उनकी गणना की गई। अतः याचिकाकर्ता की याचिका मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर, याचिकाकर्ता के कथनों को गलत व मनगढंत बताते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा डेचवास विद्यालय में प्रवेश क्रमांक 461 पर दर्ज इन्द्राजात के अनुसार वर्ष 1989 से 1992 तक कक्षा–4 में अध्ययन नहीं किया बल्कि उक्त प्रवेश क्रमांक पर अन्य, राज कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह, जाति राव ने प्रवेश लिया था। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 का नाम राजू कंवर है जिसने अपना अध्ययन हिंगोनिया, जिला जयपुर में लाल बहादूर बाल विद्यालय में प्रथम कक्षा में दिनांक 02.07.89 को प्रवेश

लेकर कक्षा आठ तक दिनांक 15.05.1997 तक अध्ययन किया है। उक्त कथनों के संबंध में श्रीमती राज कंवर के जायन्दा भाई, श्री उदय सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत है। राज कंवर के निर्वाचन पहचान पत्र संख्या एमडब्ल्यूजे/1827963 के अनुसार उसका नाम राज कंवर पत्नी मुरली मनोहर अंकित है जबकि अप्रार्थी सं. 3 राजू कंवर पत्नी गोविन्द सिंह का निर्वाचन पहचान पत्र क्रम सं. एम.डब्ल्यू/1921550 है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 3 व राज कंवर अलग अलग व्यक्ति है। अतः प्रार्थीया की याचिका को विशेष व्यय सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

5. याचिकाकर्ती द्वारा जवाबउलजवाब प्रस्तुत कर अपने कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 ने कक्षा 4 तक ही अध्ययन किया है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत बरणा के सरपंच पद हेतु चुनाव लडने पर हेमराज पुत्र रामनारायण ने अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक अपराधिक परिवादी न्यायालय श्रीमान् अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ के यहां दिनांक 25.02.2015 को प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस थाना किशनगढ में आपराधिक प्रकरण संख्या 61/2013 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,193 भा.दं.स. में अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध दर्ज किया गया, जो विचाराधीन है। ग्राम डेचवास के विद्यालय के क्रम 461 पर अप्रार्थी संख्या 3 का ही नाम अंकित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मतगणना के दौरान विभिन्न बूथों के मतों की पृथक–पृथक गिनती नहीं की, ना ही एजेन्ट द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को पुनर्गणना हेतु बार बार निवेदन करने पर पुनर्गणना की, तथा अपने मनमाने ढंग से अप्रार्थी संख्या 3 को सरपंच बना दिया।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों तथा पत्रावली पर अवस्थित दस्तावेजात व सामग्री के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया प्रार्थीया चुनाव दिनांक 01.02.2015 को रद्द कराने की अधिकारी है? ..... प्रार्थी
2. आया प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 3 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित करवाने का अधिकारी है? ..... प्रार्थी
3. आया अप्रार्थी सं. 3 कक्षा 8 उत्तीर्ण नहीं होने से चुनाव लडने के योग्य नहीं है? ..... प्रार्थी
4. आया प्रार्थीया के चुनाव याचिका पेश करने का अधिकारी नहीं है? .....अप्रार्थी संख्या 3
5. अनुतोष?

7. याचिकाकर्ती द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में गवाहान पी.डब्ल्यू 1 शारदा, पीडब्ल्यू–2 राजू, पीडब्ल्यू 3 गोपी, पीडब्ल्यू 4 हेमराज के शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त गवाहान को परीक्षित कराया एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. प्रतिवादी पक्ष ने अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में

डीडब्ल्यू 1 राजू कंवर, डीडब्ल्यू 2 गोविन्द सिंह, डीडब्ल्यू 3 ओमप्रकाश के शपथ प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया।

9. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पक्षकारान् की ओर से की गई बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों का मनन किया गया। विरचित किए गए विवाद्यकों पर निष्कर्ष इस प्रकार से है :–

विवाद्यक संख्या 4

10. सुविधा की दृष्टि से इस विवाद्यक का निस्तारण सर्वप्रथम किया जा रहा है, जिसे साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 3 पर है, जिसमें उन्हें साबित करना है कि प्रार्थीया को चुनाव याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है।

11. इस संबंध में प्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत गवाहान के शपथपत्र एवं समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् यह प्रकट होता है कि उक्त विवाद्यक के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत साक्षियों के शपथ पत्र में तनिक भी कोई कथन किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 उक्त विवाद्यक को अपने समर्थन में साबित करने में असफल रहा है। उक्त विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 व 3

12. सुविधा की दृष्टि से एवं पुनरावृत्ति से बचने के लिए, उक्त दोनों ही विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, जिन दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार याचिकाकर्ती पर है। उक्त विवाद्यकों के समर्थन में याचिकाकर्ती की ओर से गवाह पीड–1 स्वयं याचिकाकर्ती शारदा, पीड–2 राजू, पीड–3 गोपी तथा पीड–4 हेमराज के शपथपत्र प्रस्तुत कर उक्त सभी गवाहान को परीक्षित कराया गया है। उक्त दोनों ही विवाद्यकों के संबंध में, एवं संपूर्ण अर्जी में भी याचिकाकर्ती द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के संबंध में उठाई गई आपत्तियां मुख्यतः; उसके आठवीं कक्षा पास नहीं होने, उसके द्वारा पेश की गई आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की टी.सी. फर्जी एवं कुटरचित होने, एवं उसके मात्र कक्षा चार तक ही याचिका में कथित विद्यालय से अध्ययन किए जाने, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराने, एवं आपत्ति करने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायोचित निस्तारण नहीं किए जाने तथा मतदान के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 के एजेन्ट द्वारा शराब एवं धनराशि का वितरण किए जाने के सम्बन्ध में है।

13. उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में याचिकाकर्ती की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है, जिनमें सर्वप्रथम यह है कि याचिकाकर्ती की ओर से किसी भी गवाह ने, किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं कराया है, जिससे याचिकाकर्ती का मामला उक्त विवाद्यकों के संबंध में, उनकी ओर से प्रस्तुत की गई केवल मौखिक साक्ष्य पर ही अवलंबित है, जिसके संबंध में याचिकाकर्ती के उक्त सभी गवाहान ने याचिका के समर्थन में अपने शपथ पत्र पेश किए हैं। जिन गवाह से प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा की गई जिरह का विश्लेषण किया जाना प्रासंगिक है।

14. गवाह पीड–1 स्वयं याचिकाकर्ती शारदा अपने शपथ पत्र में याचिका के अनुकूल ही कथन करती है। परंतु उक्त गवाह से प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा की गई जिरह के अनुसार उक्त गवाह ने लिखित में आपत्ति दी थी। उस आपत्ति की रसीद उसने नहीं ली। वह आपत्ति उसने स्वयं लिखी थी। उक्त गवाह इस बात का सही होने का कथन करती है कि लिखित आपत्ति की कोई भी रसीद एवं प्रतिलिपि को उसके द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया है। उक्त गवाह के अनुसार मतगणना के समय वह वहां मौजूद नहीं थी, उस समय उसका जेठ, जो कि उसका एजेन्ट था, जिसका नाम रामेश्वर है, मतगणना के समय नियुक्त किया गया था। उक्त गवाह के अनुसार रामेश्वर द्वारा की गई आपत्ति की प्रतिलिपि व रसीद पत्रावली पर उपस्थित नहीं है। मतदान के समय उक्त गवाह स्वयं वहां उपस्थित नहीं थी, परंतु उसका एजेन्ट गोपाल वहां उपस्थित था। उक्त गवाह इस बात का सही होना, कथन करती है कि पोलिंग के समय गोपाल ने कोई आपत्ति लिखित या मौखिक रूप से नहीं करी। उक्त गवाह यह नहीं बता सकती कि अप्रार्थी संख्या 3 ने किस किस को शराब पिलाई व धन वितरण किया। उसके सामने ना तो शराब पिलाई, ना ही धन वितरण किया गया। उक्त गवाह इस बात का सही होना, कथन करती है कि राजू, गोपी, हेमराज व कैदार को निर्वाचन एजेंट नियुक्त नहीं किया था। उक्त गवाह इस बात का सही होना कथन करता है कि यह सभी बातें चुनाव रिजल्ट के बाद की है। उक्त गवाह इस बात का कथन करती है कि जिस टी.सी. की वह बात कर रहे हैं, वह उसका जेठ लेकर आया था, फिर उक्त गवाह कहती है कि पता नहीं कौन–कौन गया था, तीन–चार व्यक्ति थे।

15. इस प्रकार उक्त गवाह पीड–1 शारदा, जो कि स्वयं याचिकाकर्ती है, के सशपथ बयानों में उससे की गई जिरह के पूर्वोक्त प्रकार से किये गये विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह ने अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही तथाकथित टी.सी. याचिकाकर्ती की ओर से प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराई गई है। यहां यह बात भी गौरतलब है कि उक्त गवाह मतदान के समय अपना एजेन्ट गोपाल होने तथा मतगणना के समय उसके जेठ रामेवश्वर के एजेंट होने का कथन करती है। जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह बात प्रकट होती है कि उक्त दोनों ही व्यक्तियों को याचिकाकर्ती की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि उक्त गवाह अपने सशपथ बयानों में यह कथन करती है कि राजू, गोपी, हेमराज जो कि इस मामले में परीक्षित कराये गये अन्य गवाहान हैं, को उक्त गवाह ने अपना एजेंट नियुक्त नहीं किया था।

16. इसके अलावा उक्त गवाह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा की गई जिरह में इस बात का कथन करती है कि वह मतगणना के समय नहीं थी, इस कारण वह नहीं बता सकती कि सभी उम्मीदावारों की अलग अलग टोकरी रखी गई हो, उसमें अलग अलग मतपत्र डाले गये हो और छटनी करते हुए निरस्त मत को अलग अलग टोकरी में रखा गया हो। उस समय किसी ने भी कोई आपत्ति की हो तो वह नहीं बता सकती। फिर उक्त गवाह स्वतः कहती है कि वह वहां पर नहीं थी।

17. इस मामले में याचिकाकर्ती की ओर से परीक्षित कराये गये अन्य गवाह

पीड–2 राजू, अपने मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र में याचिका के अनुरूप ही कथन करता है। जबकि उक्त गवाह से प्रत्यर्थी पक्ष द्वार की गई जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि अप्रार्थी संख्या 3 या उसके एजेंट ने शराब व धन वितरण किया हो, किसने किसको शराब वितरण व धन वितरण किया, यह वह नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि बुर्जुग आदमी की जेब में पांच सौ रूपये का नोट डाला था। उस बुर्जुग आदमी का नाम छोटूलाल है। छोटूलाल की जेब में पांच सौ रूपये का नोट डाला, उसका नाम उक्त गवाह को पता नहीं। शारदा द्वारा उक्त गवाह के सामने शराब व धन वितरण की लिखित शिकायत की हो, तो उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त गवाह इस बात केसही होने का कथन करता है कि वोट की गिनती के समय वह वहां पर नहीं था।

18. जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि यह कहना सही है कि राजूकंवर ने अपनी मार्कशीट पेश की थी। यह कहना सही है कि जिस समय मार्कशीट पेश की थी उस समय वो सही थी या गलत, कोई जानकारी नहीं थी। यह सही है कि उसकी मार्कशीट के संबंध में उस समय कोई आपत्ति कर ही नहीं सकते थे, इसलिए कोई शिकायत नहीं की थी।

19. गवाह पीड–3 गोपी भी इस मामले में अपने शपथ पत्र में याचिका के समर्थन में कथन करता है। जबकि स्वयं से की गई जिरह में उक्त गवाह इस बात का सही होने का कथन करता है कि वह चुनाव में शारदा देवी का एजेंट नहीं था। उसके सामने फर्जी वोट नहीं डाले गये थे, लेकिन एजेंट बता रहा था कि फर्जी वोटिंग हो रही है। एजेंट का नाम उक्त गवाह गोपाल पुत्र मोती होना कथन करता है। जबकि उक्त व्यक्ति गोपाल को इस मामले में परीक्षित नहीं कराया गया है। उक्त गवाह के अनुसार राजू कंवर को शराब व धनराशि बांटते हुए नहीं देखा। फिर उक्त गवाह कथन करता है कि समर्थक बता रहे थे। उक्त समर्थक कौन था, उक्त गवाह को ध्यान नहीं है। जिसको बांटा उसका नाम, पता भी नहीं पता है। मतगणना के समय उक्त गवाह मतगणना कक्ष में मौजूद नहीं था। मतगणना के समय शारदा व उसके एजेंट ने उसके सामने चुनाव अधिकारी को शिकायत नहीं की थी। स्वतः उक्त गवाह कथन करता है कि बाहर एजेंट ने स्वयं बताया था कि मतगणना सही नहीं हो रही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि राजूकंवर द्वारा नामांकन पत्र के साथ, वोटरआईडी, अंक तालिका व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उसी आधार पर ही उसे सरपंच के चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार माना गया था।

20. इसी प्रकार गवाह पीड–4 हेमराज, अपने शपथ पत्र में याचिका के अनुसार कथन करता है, परंतु अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में इस बात का सही होना कथन करता है कि, शारदा देवी ने राजू, कंवर के नामांकन के संबंध में कोई लिखित आपत्ति नहीं की थी। उक्त गवाह भी शारदा का एजेंट नहीं था। उक्त गवाह के द्वारा भी नामांकन, मतदान एवं मतगणना के समय कोई लिखित आपत्ति नहीं की थी। मतदान के समय उक्त गवाह मौजूद नहीं था। किस व्यक्ति ने किसका फर्जी मतदान डाला, उसका नाम उक्त गवाह को ध्यान नहीं है।

21. जबकि इस संबंध में प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से तीन गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह डीडब्ल्यू 1 राजू कंवर, जो कि इस मामले में अप्रार्थी संख्या 3 है, अपने शपथ पत्र में अपने समर्थन में कथन करती है एवं उक्त गवाह की जिरह में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जो कि याचिकाकर्ती की याचिका को तनिक भी बल प्रदान करती हो।

22. इसके अलावा गवाह डीडब्ल्यू 2 गोविन्द सिंह, जो अप्रार्थी संख्या 3 राजूं कंवर का पति है, तथा गवाह डी.डब्ल्यू 3 ओम प्रकाश जो कि अप्रार्थी संख्या 3 की जवाब याचिका के अनुसार तथाकथित महिला राज कंवर का भाई है, के सशपथ बयानों से भी ऐसी कोई बात नहीं आई है, जो कि याचिकाकर्ती की याचिका को तनिक भी बल प्रदान करती हो।

23. ऐसे में पत्रावली पर अवस्थित समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि इस मामले में याचिकाकर्ती द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। साथ ही तथाकथित रूप से अप्रार्थी संख्या 3 के फर्जी टी.सी. से चुनाव लडने के संबंध में, याचिका के अनुरूप किसी अन्य विद्यालय से कक्षा चार तक अध्ययन करने के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य, जो कि इस संबंध में प्रमाणक बल रखता हो, प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है।

24. इस प्रकार साक्ष्य के पूर्वोक्त प्रकार से किए गए विवेचन से इस न्यायालय के विनम्र मत में याचिकाकर्ती द्वारा अपनी याचिका में उठायी गई एवं उक्त दोनों विवाद्यकों से सुसंगत आपत्तियों यथा उसके आठवीं कक्षा पास नहीं होने, उसके द्वारा पेश की गई आठवीं कक्षा उर्त्तीण की टी.सी. फर्जी एवं कुटरचित होने, एवं उसके मात्र कक्षा चार तक ही याचिका में कथित विद्यालय से अध्ययन किए जाने, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराने, एवं आपत्ति करने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायोचित निस्तारण नहीं किए जाने तथा मतदान के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 के एजेन्ट द्व ारा शराब एवं धनराशि का वितरण किए जाने, को साबित करने में असफल रहा है। अतः पूर्वाक्त दोनों ही विवाद्यक याचिकाकर्ती के विरूद्ध निस्तारित किए जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

25. इस विवाद्यक को साबित करने का भार याचिकताकर्ती पर है, जिसमें उन्हें साबित करना है कि प्रार्थीया चुनाव दिनांक 01.02.2015 को रद्द कराने की अधिकारी है।

26. उक्त विवाद्यक, इस मामले में विवाद्यक संख्या 2 एवं 3 के निस्तारण के दौरान विश्लेषित किए गये साक्ष्य एवं उक्त दोनो ही विवाद्यकों के निस्तारण पर समाश्रित है, जो दोनों ही विवाद्यक याचिकाकर्ती के विरूद्ध निस्तारित किए गए हैं। अतः यह विवाद्यक भी याचिकाकर्ती के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

अनुतोष

27. विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 याचिकाकर्ती के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या 4, अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध निस्तारित किये गये हैं, अतः याचिकाकर्ती इस मामले में कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

: : आदेश : :

28. याचिकाकर्ती की ओर से प्रस्तुत याचिका विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगें। आदेशानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(मनीष हरजाई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–01, किशनगढ, अजमेर।

29. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीष हरजाई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–01, किशनगढ, अजमेर।